न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

B.C.C.A. Case No.- 38 /2020 राज्य बनाम श्री सोनु कुमार

-: आदेश :-

14/10/2020

यह कार्यवाही बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक-462/सी.आर. दिनांक 28.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि **श्री सोनु कुमार पे0 श्री श्रीकांत यादव, सा0 भेलाही, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा** एक सक्रिय एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला अपराधकर्मी है। इनके विरूद्ध मधेपुरा जिला के **मुरलीगंज** थाना में अनेक कांड दर्ज हैं तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आसन्न बिहार विधान सभा आम चुनाव 2020 में किसी एक पार्टी की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए डरा-धमका रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र में लोकहित एवं जनहित में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु इनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत निरूद्ध करने पर बल दिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है:-(1) **मुरलीगंज थाना कांड सं0-104/18, दि. 23.03.18, धारा-341/323/325/308/379/504/506/34 भा.द.वि. (2) मुरलीगंज थाना कांड सं0-107/18, दि. 24.03.18, धारा-452/302/120बी. भा.द.वि. (3) मुरलीगंज थाना कांड सं0-111/18, दि. 26.03.18, धारा-147/341/323/383/333/353/504/506 भा.द.वि. एवं (4) मुरलीगंज थाना कांड सं0-135/19, दि. 17.04.19, धारा-364/302/201/34 भा.द.वि.।**

प्रतिपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता कहना है कि प्रतिपक्षी के विरूद्ध प्रश्नगत मामला के आधार पर सी.सी.ए की धारा-3(3) के तहत् कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रतिपक्षी को मुरलीगंज थाना कांड सं0-104/18 में अनुसंधानोपरान्त पुलिस द्वारा जमानत दे दिया गया है। मुरलीगंज थाना कांड सं0-107/18 में पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के द्वारा दिनांक 20.07.2019 को निर्गत प्रतिवेदन-5 एवं अंतिम आदेश में प्रतिपक्षी के विरूद्ध गठित आरोप असत्य पाया है। थाना कांड सं0-111/18 में प्रतिपक्षी के विरूद्ध गठित आरोप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा असत्य पाया है। थाना कांड सं0-135/19 में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा प्रतिपक्षी के विरूद्ध दोषारोपण सही नहीं पाया है तथा अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल समर्पित करने की अनुशंसा की गई है। इस तरह किसी भी मामले में प्रतिपक्षी के विरूद्ध आरोप सही नहीं पाया गया है। इन्हें असामाजिक तत्त्व की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। प्रतिपक्षी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा बिहार विधान सभा चुनाव-2020 के अवसर पर मतदान पदाधिकारी-2 के रूप में प्रतिनियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ है। यदि इनके विरूद्ध धारा-3(3) के तहत् कार्यवाही चलाई जाती है तो चुनाव सम्पन्न कराने हेतु जिस महत्त्वपूर्ण कार्य का दायित्व सौंपा गया है, उससे कर्त्तव्य निर्वहन के साथ-साथ चुनाव कार्य से बंचित होना पड़ेगा। उल्लेखित परिपेक्ष्य में दाखिल लिखित अभिकथन एवं साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त प्रतिपक्षी को उक्त बंदिस से मुक्त करते हुए प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाय।

विज्ञ अपर लोक अभियोजक कहना है कि दाखिल साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किए गए अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण प्रतिवेदन में प्रतिपक्षी के विरूद्ध दोषारोपण असत्य पाया गया है। किसी भी मामले में विज्ञ अपराधिक न्यायालय से दोष मुक्त होने का आदेश निर्गत नहीं हुआ है। यह सही है कि प्रतिपक्षी को बिहार विधान सभा चुनाव-2020 के अवसर पर मतदान पदाधिकारी-2 के रूप में दायित्व सौंपा गया है। चुनाव कार्य में काफी कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी के लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-3(3) के तहत् कार्यवाही तत्काल स्थगित करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि चुनाव कार्य से ये बंचित नहीं रह पाए।

उभय पक्षों को सुनने के बाद अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रतिपक्षी के विरूद्ध धारा-3(3) के तहत् जितने भी मामले दर्शाये गए हैं, उन सभी मामलों में प्रतिपक्षी के ओर से दाखिल साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रतिपक्षी के विरूद्ध आरोप सही नहीं पाया गया है। इस तरह प्रस्तुत प्रस्ताव तथ्यगत प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखित परिपेक्ष्य में विज्ञ अपर लोक अभियोजक, मधेपुरा के तर्क से सहमत होते हुए प्रतिपक्षी के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा को स्वीकृत किया जाता है तथा प्रस्तुत वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा।

डी0बी0नं0 769 /न्या0, दिनांक 14/10/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ **थानाध्यक्ष, मुरलीगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्री सोनु कुमार पे0 श्री श्रीकांत** यादव, **सा0 भेलाही,** थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/10/2020

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।